निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण 1935 (श0)

(सं0 पटना 669) पटना, मंगलवार, 20 अगस्त 2013

सं0 3ए-2-वे०पु०-12/2009(भाग-III)—**7662-वि0(2)**

वित्त विभाग

संकल्प

25 जुलाई 2013

विषयः—बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/1989 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में 'Rent Free Accommodation' की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 1483, दिनांक 06/02/2012 के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आवास किराया भत्ता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया थाः-

(i) ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं कराया गया हो, को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660, दिनांक 08/02/1999 के अनुसार दिनांक 01/01/1996 से 31/12/2009 तक अनुमान्य आवास भत्ता का भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01/01/2010 की तिथि से संकल्प संख्या 12372, दिनांक 31/12/2009 द्वारा पुनरीक्षित दर पर मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) बकाया आवास किराया भत्ता की राशि का 60 प्रतिशत आदेश निर्गत की तिथि के तुरंत बाद एवं शेष 40 प्रतिशत जुलाई, 2012 के पश्चात् भुगतान किया जायेगा ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/03/2013 को पारित आदेश के पार्ट B की कंडिका-1(a) में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए "Rent free accommodation" के संबंध में निम्नांकित निदेश दिया गया हैः–

" For serving officers the facility of "rent free accommodation" not notified strictly as per directions of this Hon'ble Court at Para-35 of its Judgments dated 21/03/2002 (2002-4-sec 247)".

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/1989, (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को "Rent free accommodation" की स्वीकृति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को उनकी पात्रता/हकदारी के अनुसार Rent free सरकारी आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार राजपत्र के अगले अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रभात शंकर,

सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 669-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in